13/2019

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक/पीए/राजस्व/2019/331-33 दिनांक 31.01.2019

आदेश

इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 11/राजस्व/2018 दिनांक 11.01.2018 के द्वारा ग्राम तपीपल्या की भूमि खसरा नम्बर 668 रकबा 0.72 हैक्टर में से 0.02 हैक्टर, ख0नं0 666 रकबा 0.05 है0 में से 0.0080 है0 व 665 रकबा 0.94 हैक्टर में से 0.0550 हैक्टर भूमि को राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र प 3(2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसार उक्त भूमि के खातेदारान् गोपाल, जमना देवी वगै0 व काना गोविन्दा मोती वगै0 की खातेदारी यथावत रखते हुए प्रचलित रास्ते के रूप में भूमि खसरा नम्बर 668 रकबा 0.72 हैक्टर में से 0.02 हैक्टर, ख0नं0 666 रकबा 0.05 है0 में से 0.0080 है0 व 665 रकबा 0.94 हैक्टर में से 0.0550 हैक्टर भूमि हैक्टर भूमि को गै.मु. रास्ता (प्रचलित रास्ता) दर्ज करने का आदेश दिया गया था।

उक्त आदेश जिसके बाबत उक्त भूमी के उक्त भूमि के खातेदारान् काना वगै0 व भगवान सिंह वगै0 इत्यादि ने आपत्ति प्रस्तुत की है मौके पर कोई रास्ता नही है और ना ही पूर्व में कोई रास्ता था। उपरोक्त भूमी में से गलत रास्ता का अकंन कर भूमियो को गलत टुकडो में बांट दिया है। उक्त भूमियो की गिरदावरिया भी प्रस्तुत की है। जिनमें भूमियो में फसल अंकित होकर कोई रास्ते का अंकन नही है। इसलिए प्रार्थीगणो की उक्त भूमि खसरा नम्बर 668 रकबा 0.72 हैक्टर में से 0.02 हैक्टर, ख0नं0 666 रकबा 0.05 है0 में से 0.0080 है0 व 665 रकबा 0.94 हैक्टर में से 0.0550 हैक्टर में गै.मु. रास्ता बाबत पारित कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 11/राजस्व/2018 दिनांक 11.01.2018 को निरस्त किया जाकर उक्त खसरा नम्बर 668 रकबा 0.72 हैक्टर में से 0.02 हैक्टर, ख0नं0 666 रकबा 0.05 है0 में से 0.0080 है0 व 665 रकबा 0.94 हैक्टर में से 0.0550 हैक्टर ग्राम तपीपल्या के राजस्व रिकार्ड पूर्व स्थिति अनुसार बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आज दिनांक 31.01.2019 को खातेदार मुकेश वगै0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर भूमि खसरा नम्बर 663 रकबा 1.78 है0 में से 0.0400 है0 खातेदार मुकेश वगैरह ग्राम तपीपल्या के गै.मु. रास्ता बाबत पारित कार्यालय आदेश क्रमांक 11/राजस्व/2018 दिनांक 11.01.2018 को निरस्त किया जाकर उक्त खसरा राजस्व रिकार्ड पूर्व स्थिति अनुसार बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है। अगर उक्त भूमियो में उक्त आदेश की पालना में राजस्व रिकॉर्ड कोई अमलदरामद किया गया है तो उसको निरस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड की पूर्व स्थिति बहाल की जावें।

O/C

(ब्रहम लाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक/पीए/राजस्व/2019/331-33 दिनांक 31.01.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थः–

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की अक्षरशः राजस्व रिकार्ड में अमल करवाकर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें ।
2. सम्बन्धित खातेदारान् काना वगै0 व भगवान सिंह वगै0 व मुकेश वगैरह खातेदार ग्राम तपीपल्या को सूचनार्थ ।

O/C

(ब्रहम लाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner